लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)
(दूरभाष क्रमांक 0771–2331385 फैक्स क्रमांक 0771–2445215, ईमेल– **cg.dpi.dir@gmail.com**)

क्रमांक / स्था.01 / प्राचार्य ई–संवर्ग / पदो. / 2025 / 1567   नवा रायपुर, दिनांक   15 / 11 / 2025

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़

विषयः–प्राचार्य ई संवर्ग के पद पर पदोन्नति उपरांत काउंसिलिंग के संबंध में।

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत व्याख्याता / व्याख्याता एल.बी. / प्र.प्रा.पू.मा. ई संवर्ग से प्राचार्य ई संवर्ग पद पर पदोन्नति उपरांत काउंसिलिंग हेतु समय–सारणी eduportal में जारी की गई है। काउंसिलिंग के दिवसों में उपस्थित होने हेतु संबंधित शिक्षकों को निम्नानुसार बिंदुओं से अवगत कराते हुये उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करावें:–

1. सभी पदोन्नत प्राचार्यों को वर्तमान संस्था में कार्यरत होने एवं मूल पदस्थापना की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख से प्रमाणित कर लाना होगा। पहचान सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवार्यतः लाना होगा। प्राचार्य काउंसिलिंग हेतु आवश्यक जानकारियां टेबल क्रमांक 01 में प्रस्तुत करेंगे।
2. यदि पदोन्नत प्राचार्य दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे सामान्य अभ्यर्थी मान्य किया जावेगा।
3. ई संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्य द्वारा टी संवर्ग की संस्था का चयन मान्य नहीं होगा।
4. कांउसिंलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर भी स्थान का चयन करने से इंकार करने वाले पदोन्नत प्राचार्य को आबंटन उपरांत शेष बचे रिक्त पद पर पदस्थापना की जायेगी।
5. काउंसिलिंग में निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों को दिनांक 21.11.2025 को समय 10.00 से 1.30 बजे तक काउंसिलिंग में शामिल किया जायेगा।

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / स्था.01 / प्राचार्य ई–संवर्ग / पदो. / 2025 / 1568 नवा रायपुर, दिनांक 15 / 11 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. नोडल अधिकारी काउंसिलिंग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित शिक्षकों को कांउसिलिंग में उक्त दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
3. सहायक संचालक एम.आई.एस. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संबंधित पदोन्नत प्राचार्य ई संवर्ग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़